दिनांक 14.10.2021
प्रेस विज्ञप्ति 14/2021

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

<u>जनपद आगरा/थाना बरहन</u>

- **पुलिस कार्यवाही में 03 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लूट के 4300/–रूपये नगद**
- **लूट/चोरी के 02 मोटर साइकिल**
- **02 अवैध तमंचा 315 बोर, 03 जीवित, 01 खोखा कारतूस**
- **02 मोबाइल फोन**
- **02 कैन चम्बल फ्रेश सोयाबीन रिफाइण्ड**
- **01 मोटर साइकिल आदि बरामद**

दिनांक 13.10.2021 को थाना बरहन पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर बम्बे पुलिया के पास से पुलिस कार्यवाही में 03 अभियुक्तों 1–गुड्डू उर्फ जयकिशन 2–होरीलाल उर्फ श्यामसुन्दर 3–गौरव को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लूट के 4300/–रूपये नगद, लूट/चोरी के 02 मोटर साइकिल, 02 अवैध तमंचा 315 बोर, 03 जीवित, 01 खोखा कारतूस, 02 मोबाइल फोन, 02 कैन चम्बल फ्रेश सोयाबीन रिफाइण्ड, 01 मोटर साइकिल आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जिसमें अभियुक्त गुड्डू उर्फ जयकिशन के विरूद्ध जनपद आगरा, फिरोजाबाद के विभिन्न थानों पर लूट, चोरी, हत्या का प्रयास, आर्म्स एक्ट, गैंगेस्टर एक्ट आदि के लगभग एक दर्जन अभियोग, अभियुक्त होरीलाल उर्फ श्यामसुन्दर व अभियुक्त गौरव के विरूद्ध जनपद आगरा, फिरोजाबाद के विभिन्न थानों पर हत्या का प्रयास, लूट, चोरी, आर्म्स एक्ट के 07–07 अभियोग पंजीकृत हैं। थाना बरहन क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात बदमाशों द्वारा लूट/चोरी की घटनाए कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना बरहन पर अभियोग पंजीकृत

कर अभियुक्तों की गिरफ्तारी/बरामदगी के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद रूपये, मोटर साइकिल आदि उक्त लूट/चोरी की घटनाओं से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना बरहन पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–गुड्डू उर्फ जयकिशन निवासी नगला खरग थाना नारखी जनपद फिरोजाबाद।

2–होरीलाल उर्फ श्यामसुन्दर निवासी गढ़ी बैशाल थाना नारखी जनपद फिरोजाबाद।

3–गौरव निवासी बुर्ज अतिबल थाना बरहन जनपद आगरा।

बरामदगी

1– लूट के 4300/–रूपये नगद।

2– लूट/चोरी के 02 मोटर साइकिल।

3– 02 अवैध तमंचा 315 बोर, 03 जीवित, 01 खोखा कारतूस।

4– 02 मोबाइल फोन।

5– 02 कैन चम्बल फ्रेश सोयाबीन रिफाइण्ड।

6– 01 मोटर साइकिल आदि।

जनपद हापुड़/थाना पिलखुवा

- **पुलिस कार्यवाही में 15–15 हजार रूपये के 02 पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **02 अवैध तमंचा 315 बोर, 04 जीवित 02 खोखा कारतूस बरामद**

दिनांक 14.10.2021 को थाना पिलखुवा व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर नन्दराम होटल के पास बदमाशों की घेरा बन्दी की गई तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त 1–दानिश 2–नदीम घायल हो गये, जिन्हे

गिरफ्तार किया गया। अन्य बदमाश मौके से फरार हो गये, जिनकी गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे है। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से 02 अवैध तमंचा 315 बोर, 04 जीवित 02 खोखा कारतूस बरामद हुए। घायलों को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जिसमें अभियुक्त दानिश के विरूद्ध जनपद हापुड़, गाजियाबाद के विभिन्न थानो में हत्या का प्रयास, गैंगेस्टर एक्ट, एनडीपीएस एक्ट, सीएस एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के 07 अभियोग व अभियुक्त नदीम के विरूद्ध जनपद हापुड़ के विभिन्न थानो में हत्या का प्रयास, सीएस एक्ट, आर्म्स एक्ट के 03 अभियोग पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्त थाना पिलखुवा पर पंजीकृत मु0अ0सं0 520/2021 धारा 3/5/8क सीएस एक्ट में वांछित चल रहे थे, जिनकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 15—15 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना पिलखुवा पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1—दानिश निवासी बाबू कालोनी के सामने डासना थाना मसूरी जनपद गाजियाबाद।

2—नदीम निवासी ढबाई नगर थाना नौचंदी जनपद मेरठ।

<u>बरामदगी</u>

1—02 अवैध तमंचा 315 बोर, 04 जीवित 02 खोखा कारतूस।

<u>जनपद शाहजहाँपुर/थाना कटरा</u>

- **03 मादक पदार्थ तस्कर गिरफ्तार**
- **लगभग 01 करोड 10 लाख रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के 01 किलो 100 ग्राम अवैध अफीम**
- **02 दो पहिया वाहन आदि बरामद**

दिनांक 13/14.10.2021 की रात्रि थाना कटरा पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर भमौरी मोड़ के पास चेकिंग के दौरान 03 मादक पदार्थ तस्करों 1—शानू उर्फ

शाहनूर 2—तोताराम 3—धर्मेन्द्र को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लगभग 01 करोड 10 लाख रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के 01 किलो 100 ग्राम अवैध अफीम, 02 दो पहिया वाहन आदि बरामद हुए।

इस सम्बन्ध में थाना कटरा पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—शानू उर्फ शाहनूर निवासी मो0फीलखाना थाना कोतवाली जनपद पीलीभीत।

2—तोताराम निवासी भगवानपुर मजरा त्रिलोकपुर थाना बिनावर जनपद बदायूँ।

3—धर्मेन्द्र निवासी विजयनगला थाना बिनावर जनपद बदायूँ।

बरामदगी

1—लगभग 01 करोड 10 लाख रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के 01 किलो 100 ग्राम अवैध अफीम।

2—02 दो पहिया वाहन आदि।

जनपद बस्ती/थाना नगर

- **09 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लगभग 40 लाख रूपये की कीमत की 03 कुन्टल 17 किलो 260 ग्राम अवैध गांजा**
- **01 डीसीएम वाहन**
- **02 चार पहिया वाहन बरामद**

दिनांक 14.10.2021 को थाना नगर पुलिस द्वारा सूचना के आधार पर फुटहिया चौराहा से आगे टांडा रोड से चेकिंग के दौरान 09अभियुक्तों 1—सुरेन्द्र 2—सुनील कुमार 3—राजमोहन 4—रामेश्वर 5—सूरज कुमार 6—धीरज कुमार 7—रवि 8—मुसाफिर 9—विपिन को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लगभग

40 लाख रूपये कीमत की 03 कुन्टल 17 किलो 260 ग्राम अवैध गांजा, 01 डीसीएम वाहन, 02 चार पहिया वाहन बरामद हुई।

इस सम्बन्ध में थाना नगर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1—सुरेन्द्र निवासी ग्राम खुदरा अहिरौली थाना तुर्कपट्‌टी जनपद कुशीनगर।

2—सुनील कुमार निवासी ग्राम बरवा राजा पाकड थाना तुर्कपट्‌टी जनपद कुशीनगर।

3—राजमोहन निवासी ग्राम अहिरौलीदान थाना तराया सुजान जनपद कुशीनगर।

4—रामेश्वर निवासी ग्राम अहिरौलीदान थाना तराया सुजान जनपद कुशीनगर।

5—सूरज कुमार निवासी ग्राम बरवाब्रीट थाना कुचायकोट जनपद गोपालगंज(बिहार)

6—धीरज कुमार निवासी ग्राम पकड़ी थाना कुचायकोट जनपद गोपालगंज(बिहार)।

7—रवि निवासी जुडाबलपुर थाना भूरे जनपद गोपालगंज, बिहार।

8—मुसाफिर निवासी जुडाबलपुर थाना भूरे जनपद गोपालगंज, बिहार।

9—विपिन निवासी भिगांरी बाजार थाना खामपार जनपद देवरिया।

<u>बरामदगी</u>

1—लगभग 40 लाख रूपये कीमत की 03 कुन्टल 17 किलो 260 ग्राम अवैध गांजा।

2— 01 डीसीएम वाहन।

3— 02 चार पहिया वाहन।

<u>जनपद बुलन्दशहर/थाना खुर्जानगर</u>

- **06 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **धोखाधड़ी/चोरी के 66 लाख रूपये नगद**
- **घटना में प्रयुक्त बुलेरो वाहन बरामद**

दिनांक 14.10.2021 को थाना खुर्जानगर व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर खुर्जा—ढाकर रोड़ सीकरी बम्बे से धोखाधड़ी/चोरी करने वाले

06 अभियुक्तों 1–प्रेमवीर उर्फ राकेश 2–कुलदीप 3–वीरेश 4–विनय उर्फ चेतन 5–बिलशन 6–अजय को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से धोखाधड़ी/चोरी के 66 लाख रूपये नगद, घटना में प्रयुक्त बुलेरो वाहन बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि दिनाकः11.10.2021 को थाना खुर्जानगर क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात बदमाशों द्वारा धोखाधड़ी/चोरी की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना खुर्जानगर पर अन्तर्गत धारा 420/380 भादवि का अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद रूपये उक्त धोखाधड़ी/चोरी की घटना से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना खुर्जानगर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–प्रेमवीर उर्फ राकेश निवासी मोहल्ला सहावर गेट थाना कोतवाली कासगंज जनपद कासगंज।

2–कुलदीप निवासी मनढोलपुरा थाना सहावर जनपद कासगंज।

3–वीरेश निवासी बहसोरा बुजुर्ग थाना कोतवाली कासगंज जनपद कासगंज,
हालपता–शंकर बिहार कालोनी थाना कविनगर, गाजियाबाद।

4–विनय उर्फ चेतन निवासी ग्राम रजापुर थाना कविनगर जनपद गाजियाबाद।

5–बिलशन निवासी बम्हेटा थाना कविनगर जनपद गाजियाबाद।

6–अजय निवासी बम्हेटा थाना कविनगर जनपद गाजियाबाद।

बरामदगी

1–धोखाधड़ी/चोरी के 66 लाख रूपये नगद।

2–घटना में प्रयुक्त बुलेरो वाहन।

जनपद बाराबंकी/थाना जैदपुर

- **02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **800 ग्राम अवैध मारफीन बरामद**

दिनांक 14.10.2021 को थाना जैदपुर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर ग्राम टेरा पुलिया के पास से 02 अभियुक्तों 1—प्रताप 2—मुजीब उर्फ बौरा को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से 800 ग्राम अवैध मारफीन बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जिसमें अभियुक्त प्रताप के विरूद्ध जनपद बाराबंकी, लखनऊ के विभिन्न थानों पर लूट, हत्या का प्रयास, गुण्डा एक्ट, आर्म्स एक्ट, एनडीपीएस एक्ट व गैंगेस्टर एक्ट 08 अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना जैदपुर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—प्रताप निवासी टेरा थाना जैदपुर जनपद बाराबंकी।

2—मुजीव उर्फ बौरा निवासी टेरा थाना जैदपुर जनपद बाराबंकी।

बरामदगी

1— 800 ग्राम अवैध मारफीन।

जनपद वाराणसी ग्रामीण/थाना रोहनिया

- **01 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **440 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब**
- **01 ट्रक बरामद**

दिनांक 14.10.2021 को थाना रोहनिया पुलिस द्वारा सूचना के आधार पर हरिहरपुर मोड़ पर चेकिंग के दौरान अभियुक्त बहादुर को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से 440 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब, 01 ट्रक बरामद हुआ।

इस सम्बन्ध में थाना रोहनिया पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–बहादुर निवासी एँड़िया खेरी थाना मावली जनपद उदयपुर, राजस्थान।

बरामदगी

1–440 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब।

2–01 ट्रक।

एस0टी0एफ0– जनपद चित्रकूट के थाना कर्वी का कुख्यात गैंगस्टर एवं रू0 25000/–का पुरूस्कार घोषित अपराधी रमेश बरूवार गिरफ्तार

दिनांक 13–10–2021 को एस0टी0एफ0, उ0प्र0 को जनपद चित्रकूट के थाना कर्वी का कुख्यात गैंगस्टर एवं रू0 25,000/ का पुरस्कार घोषित अपराधी रमेश बरूवार को गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण :

रमेश बरूवार पुत्र जगदम्बा निवासी दुल्हापुर बनकट, थाना धानेपुर, जनपद गोण्डा।

बरामदगी :

1– एक अदद तमंचा 315 बोर,

2– एक अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर

3– रू0 110/– नगद

गिरफ्तारी का दिनांक/समय व स्थान –

दिनांक–13–10–2021, समय–21:15 बजे, स्थान–एच0पी0 पेट्रोल पम्प के पास, सतरिख कस्बा, जनपद बाराबंकी।

एस0टी0एफ0 उ0प्र0 द्वारा कुख्यात अपराधियो, माफियाओ, वांछित एवं पुरूस्कार घोषित अपराधियो के विरूद्ध प्रचलित अभियान के क्रम मे विभिन्न इकाईयों/टीमों को इस सम्बन्ध में गहनता से अभिसूचना संकलित कर विधिक कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान किये गये थे। जिसके क्रम में पुलिस उपाधीक्षक श्री डी0के0 शाही के पर्यवेक्षण में उ0नि अतुल चतुर्वेदी के नेतृत्व मे एक टीम द्वारा अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी।

अभिसूचना संकलन के क्रम में ज्ञात हुआ कि जनपद चित्रकूट के थाना कर्वी का कुख्यात गैंगस्टर व रू0 25,000/– का पुरस्कार घोषित अपराधी रमेश बरूवार जिस पर मु0अ0सं0 348/2020 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट (इसी अभियोग मे पुरस्कार घोषित है) पंजीकृत है, जो चोरी करने के इरादे से जनपद बाराबंकी आया हुआ है। यदि शीघ्रता की जाये तो पकड़ा जा सकता है तथा किसी होने वाली घटना को रोका जा सकता है। इस सूचना पर त्वरित कार्यवाही करते हुये एस0टी0एफ0 की उ0नि0 अतुल चतुर्वेदी के नेतृत्व में उ0नि0 प्रदीप कुमार सिंह, मुख्य आरक्षी अनिल चन्देल, मु0आ0 नीरज पाण्डेय, मुख्य आरक्षी सुशील कुमार सिंह, आरक्षी गौरव सिंह की टीम मुखबिर द्वारा बताये गये स्थान पर पहुचकर मुखबिर द्वारा तस्दीक किये जाने पर तत्काल प्रभावी कार्यवाही करते हुए घेराबंदी कर कुशल सूझबूझ का परिचय देते हुए अभियुक्त रमेश बरूवार को गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

पूछताछ के क्रम में अभियुक्त रमेश बरूवार द्वारा बताया गया कि राम बिलास व उसके चाचा अपने गांव के अन्य साथियों के साथ मिलकर गैंग बनाकर भारत के तीर्थ स्थलो पर चोरी, लूट–पाट, जानवर लदे वाहन लूटने तथा चित्रकूट धाम मे दर्शन करने आये यात्रियों/टूरिस्टों के साथ भी लूट–पाट किया करते थे, जिसके सम्बन्ध मे मुझ पर

तथा मेरे अन्य साथियों के विरूद्ध वर्ष 2019 मे थाना कर्वी पर अभियोग भी पंजीकृत हो चुके है। राम बिलास को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया जा चुका है व अपने चाचा के साथ जिला कारागार चित्रकूटधाम मे निरूद्ध है। वह चोरी करने के इरादे से जनपद बाराबंकी आया था कि आप लोगो द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त को गिरफ्तार कर उसके विरूद्ध थाना सतरिख, जनपद बाराबंकी में मु0अ0सं0 255/2021, धारा 3/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत कर दाखिल कर दिया गया है तथा थाना कर्वी, जनपद चित्रकूटधाम को उपरोक्त सम्बन्ध में सूचना दे दी गयी है। अग्रेतर विधिक कार्यवाही थाना स्थानीय द्वारा की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त रमेश बरूवार का अबतक का ज्ञात आपराधिक इतिहासः—</u>

1—मु0अ0सं0 243/2016 धारा 379/411 भादवि थाना कोतवाली नगर, जनपद गोण्डा,

2—मु0अ0सं0 444/2016 धारा 457/380 भादवि थाना कोतवाली नगर, जनपद गोण्डा,

3—मु0अ0सं0 631/2016 धारा 457/380 भादवि थाना कोतवाली नगर, जनपद गोण्डा,

4—मु0अ0सं0 735/2016 धारा 457/380 भादवि थाना कोतवाली नगर, जनपद गोण्डा,

5—मु0अ0सं0 686/2016 धारा 380/411 भादवि थाना कोतवाली नगर, जनपद गोण्डा,

6—मु0अ0सं0 292/2018 धारा 60 एक्साईस एक्ट थाना धानेपुर जनपद गोण्डा,

7—मु0अ0सं0 929/2019 धारा 401/420/467/468/471 भादवि थाना कर्वी, जनपद चित्रकूट

8—मु0अ0सं0 348/2020 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना कर्वी जनपद चित्रकूट

———